महत्वपूर्ण एवं खास

मिडमिडा एनएच 49 के पास 17 लीटर महुआ शराब के साथ युवक पकड़ाया

रायगढ़। प्रभारी पुलिस चौकी जुटमिल उप निरीक्षक आर.एस. नेताम के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक शंभू पाण्डेय, आरक्षक सत्या यादव, बनारसी सिदार, श्याम लाल सिदार, महिला आरक्षक ग्रेसदानी टोप्पो द्वारा मिडमिडा एनएच-49 के पास आरोपी अश्वनी सारथी पिता स्व. लक्ष्मण सारथी उम्र 50 साल साकिन मिडमिडा को अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करते हुये पकड़ा गया, आरोपी से 20 लीटर क्षमता वाली जरकिन में 17 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। आरोपी पर चौकी जूटमिल में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है।

राजीव गांधी नगर नवापारा में राशन दुकान संचालन हेतु 28 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत नगर निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 36 राजीव गांधी नगर नवापारा में दुकान आबंटन किया जाना है। इच्छुक स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व-सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां अथवा वन सुरक्षा समिति निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र 28 जुलाई 2021 तक खाद्य अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ में जमा कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत, नायब तहसीलदार सहित 3 की मौत

कवर्धा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे मार्ग में ग्राम पगवाही के बास आज सुबह बोलेरो वाहन और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बोड़ला के नायब तहसीलदार सहित तीन लोगों की मौत हो गई। सूचना पर मौके में पहुंची चिल्फी थाना पुलिस ने पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एक घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। बोड़ला के नायब तहसीलदार सतीश कुमार अपने तीन साथियों के साथ ग्राम धवाईपानी गए हुए थे। वहां से सुबह बोलेरों में वापस लौट रहे थे तभी करीब साढ़े सात बजे नेशनल हाईवे मार्ग में स्थित ग्राम पगवाही के पास सामने से आ रही ट्रक में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि बोलेरो में सवार चारों वाहन में ही फंसे रहे। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने कटर से काटकर करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद चारो को बाहर निकाला। जिसमें नायब तहसीलदार सहित तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं आबकारी विभाग में पदस्थ गार्ड चंदन घायल था। जिसे उपचार के लिए बोड़ला के अस्पमाल में भर्ती किया गया थे। वहीं घटना के बाद से ट्रक चालक फरार है। पुलिस ने बताया कि नायब तहसीलदार के साथ दो अन्य मृतकों की शिनाख्ती नहीं हो पाई है। बहरहाल पुलिस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

लोटस स्पा सेंटर कोतवाली पुलिस ने की रेड... संचालिका सहित चार युवती व ग्राहक गिरफ्तार

आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गये महिला व पुरूष

रायगढ़। गत दिनों प्रदेश के कुछ जिलों में महानगरों से युवतियां लाकर उनके अनैतिक व्यापार की खबरें प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त हुई थी जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा जिले के सभी थाना, चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में इस प्रकार के अनैतिक कार्यों पर निगाह रखने तथा होटल, लॉज, स्पा सेंटर, पार्लर चेक कर अवगत कराने निर्देशित किया गया था, निर्देशों पर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर द्वारा शहर के सभी स्पा सेंटर पार्लर, होटल , लॉज जाकर औचक चेक करना शुरू किये साथ ही अपने मुखबिरों को शहर भीतर ऐसे अनैतिक कार्यों पर शीघ्र सूचना देने निर्देशित किये कि आज शाम थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर को शहर के शहीद चौक स्थित लोटस स्पा सेंटर की संचालिका द्वारा बाहर से लड़कियां बुलाकर उनसे अनैतिक कार्य कराने कीर सूचना दी गई। थाना प्रभारी इस सूचना को एसपी एवं एडिशनल एसपी को अवगत कराए। एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा द्वारा आईयूसीएडब्लू एडिशनल एसपी गरिमा द्विवेदी को कोतवाली पुलिस के साथ कार्यवाही करने निर्देशित किये। एएसपी गरिमा द्विवेदी के नेतृत्व में थाना प्रभारी मनीष नागर, उपनिरीक्षक नंदलाल पैंकरा, प्रधान आरक्षक नंदकुमार सारथी, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, महिला आरक्षक अलीशा टोप्पो, आरक्षक उत्तम सारथी, विनोद शर्मा कार्यवाही के लिए रवाना हुए। कार्यवाही के पूर्व एएसपी गरिमा द्विवेदी द्वारा मुखबिर से मिली सूचना पुख्ता करने एक प्वाइंटर नियुक्त कर स्पा सेंटर भेजा गया। स्पा सेंटर से प्वाइंटर द्वारा स्पा सेंटर की गतिविधियां संदिग्ध होने की सूचना दी गई, जिस पर एएसपी गरिमा द्विवेदी व कोतवाली की टीम स्पा सेंटर की घेराबंदी कर एकाएक रेड किए। स्पा सेंटर की रिसेप्शनिस्ट हॉल में संचालिका जो सावित्री नगर जूटमिल की रहने वाली है मिली जिसके पास से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं पुलिस को मिली, संचालिका से पूछताछ बाद जब कोतवाली पुलिस स्पा सेंटर के एक कमरे में पहुंची जहां तीन युवतियां व ग्राहक विनोद सोनी मिले। कोतवाली पुलिस को कमरे की जांच में आपत्तिजनक वस्तुएं मिली, युवतियों से पूछताछ करने पर स्पा सेंटर की संचालिका के कहने पर आना बताई, सभी युवतियां कोलकाता पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई। कोतवाली पुलिस द्वारा कमरे से आपत्तिजनक वस्तुएं नगदी ?23,000 की विधिवत जब्ती की गई है। कोतवाली पुलिस स्पा सेंटर की संचालिका एवं महिला दलाल तथा देह व्यापार में लिप्त की तीन युवती एवं देह व्यापार में संलिप्त आरोपी युवक(ग्राहक) विनोद सोनी पिता एसआर सोनी उम्र 42 वर्ष निवासी हीरानगर जूटमिल थाना कोतवाली पर धारा 3,4,5 अनैतिक व्यापार अधिनियम (पीटा एक्ट) के तहत कार्यवाही कर रही है।

प्रेमी जोड़े कूदे चलती ट्रेन के सामने

» युवक की मौत युवती गंभीर रूप से घायल

रायगढ़ (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से शनिवार को सुबह बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है भूपदेवपुर के मुरारीपाली रेल ट्रैक पर प्रेमी जोडे ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। इस कोशिश में युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई और युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची भूपदेवपुर थाना प्रभारी उत्तम साहू की टीम ने घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए घायल युवती के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरी तहकीकात के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा।

40 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

» विजयपुर कोसाबाडी के जंगल में चक्रधरनगर पुलिस की शराब रेड कार्रवाई

रायगढ़। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अभिनवकांत सिंह के निर्देशन पर आज दिनांक 17.07.2021 को थाने की पेट्रोलिंग पार्टी के प्रधान आरक्षक लोमस सिंह राजपूत हमराह आरक्षक विक्कु सिंह, चंद्र कुमार बंजारे एवं श्याम सुंदर साहू द्वारा ग्राम विजयपुर कोसाबाडी के जगल में शराब रेड कार्यवाही किया गया, पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची जहां एक व्यक्ति को महुआ शराब रखकर बिक्री करते हुऐ पकड़ी तथा शराब पीने वाले इधर उधर भागने लगे। शराब बिक्री करने वाला व्यक्ति अपना नाम अभय राम सारथी पिता चौकराम सारथी उम्र 28 वर्ष साकिन तिलगा थाना चक्रधरनगर का रहने वाला बताया, जिसके कब्जे से पुलिस टीम द्वारा वाहन के दो टायर ट्यूब में लगभग 40 लीटर महुआ शराब एवं बिक्री रकम 120 रूपये को जप्त किया गया है। आरोपी पर थाना चक्रधरनगर में धारा 34(1), 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है।

जेजे कैफे पर कोतवाली पुलिस फिर की रेड, फास्ट फूड के साथ हुक्का पिलाए जाने की मिली थी सूचना

» कैफे के संचालक पर सिगरेट, तंबाकू अधिनियम के तहत कार्रवाई

रायगढ़। दिनांक 16/07/2021 के शाम थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर को कोतरारोड़ स्थित जेजे कैफे में ग्राहकों को फास्ट फूड के साथ तंबाकू उत्पाद युक्त हुक्का पिलाए जाने की सूचना मिली जिस पर थाना प्रभारी के हमराह महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, आरक्षक विनोद शर्मा, अभय नारायण यादव द्वारा मौके पर जाकर रेड किए। कैफे के बाहर से ही तंबाकू की गंध आ रही थी कुछ ग्राहक हुक्का का सेवन करते मिले। संचालक को थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर द्वारा कड़ी फटकार लगाते हुए स्टाफ को कैफे से संचालक तथा कैफे से हुक्का पोट तथा अब्गल वाइट रोज हुक्का का फ्लेवर की जप्ती कर साथ थाने लाने को कहा गया। कोतवाली स्टाफ द्वारा संचालक नवीन फरमानिया पिता पवन फरमानिया उम्र 21 वर्ष निवासी दशरथ पान ठेला कोतरारोड़ थाना कोतवाली को थाना लेकर आए जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 4/2, 6/24 सिगरेट व अन्य तम्बाकू अधिनियम 2003 के तहत इस्तगासा की कार्यवाही की गई है। कोतवाली पुलिस द्वारा इसके पूर्व भी जेजे कैफे पर हुक्का पिलाए जाने की सूचना पर कार्यवाही की जा चुकी है।

130 लीटर चोरी की डीजल के साथ ढाबा संचालक गिरफ्तार

रायगढ़। अवैध शराब, कबाड, जुआ-सट्टा पर रिकार्ड कार्रवाई के बाद कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 17/07/2021 को हिमांचल ढाबा में चोरी की डीजल विक्रय होने की सूचना पर रेड किया गया। मौके पर ढाबा संचालक 50-50 लीटर तथा 30 लीटर की जरकिन में डीजल रखकर ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा था, कोतवाली पुलिस के पहुंचने पर अवैध सौदा विफल हो गया। कोतवाली पुलिस ढाबा संचालक को चोरी की सम्पति रखने के अपराध में कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार कोतवाली टीआई मनीष नागर को मुखबीर से सूचना मिली कि हिमांचल ढाबा का संचालक ट्रक, ट्रेलर ड्रायवर तथा आसपास के कम्पनियों से अवैध तरीके से डीजल की खरीदी कर ओने-पौने दाम में अवैध तरीके से डीजल की खरीदी करता है। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर, सहायक उपनिरीक्षक प्रेमसाय भगत, राजेन्द्र पटेल, आरक्षक मनोज पटनायक हिमांचल ढाबा में रेड किया गया। मौके पर ढाबा संचालक पूर्णचंद चौबे पिता प्रेम हंस चौबे उम्र 43 वर्ष निवासी लाखा थाना कोतवाली 50 लीटर वाली दो जरकिन तथा 30 लीटर वाली एक जरकिन में भरी हुई डीजल रखकर पूर्व से सौदा कर ग्राहक का इंतजार कर बैठा हुआ था।

थाना प्रभारी द्वारा अवैध रूप से डीजल बिक्री के संबंध में कागजात की मांग की गई, जिस पर उसने डीजल चोरी की होना बताया। कोतवाली पुलिस द्वारा ढाबा संचालक का पूर्ण चंद चौबे से 130 लीटर डीजल कीमती 12,688 रुपए का जप्त कर चोरी की संपत्ति होने के संदेह पर आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा 31/2021 धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी के तहत कार्यवाही का आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।

नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में अधेड़ व्यक्ति गिरफ्तार

» आरोपी को खरसिया पुलिस ने भेजी रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 15/07/2021 को थाना खरसिया में दर्ज नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को आज दिनांक 17/07/2021 को थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एस.आर. साहू द्वारा पास्को एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर ?रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार नाबालिग बालिका दिनांक 14.07.21 को खरसिया से अपने नजदीकी रिस्तेदार की शादी बारात में गई थी। बारात घर से बालिका दुल्हे के साथ स्कार्पियो वाहन में बैठकर उसी रात वापस घर आई। बालिका घर आकर अपने परिजनों को बताई कि गाड़ी में आमगांव (जैजैपुर) का विष्णु बर्मन भी बैठा था जो पूरे रास्ते भर गंदी नजर से देख रहा था और बारात घर में कुर्सी में बैठी थी तो विष्णु बर्मन पास कुर्सी में आकर बैठ गया और नाम पूछकर गलत नियत से छूने लगा और कान में गंदी गंदी बातें कहने लगा। बालिका के परिजनों के साथ थाना खरसिया आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, रिपोर्ट पर अप.क्र. 429/2021 धारा 354,354-क,509 भादवि एवं 12, 8 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी विष्णु बर्मन पिता स्व. संतुराम बर्मन निवासी आमगांव थाना जैजेपुर जिला जांजगीर-चाम्पा को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एसआर साहू, उप निरीक्षक जयमंगल पटेल, आरक्षक प्रदीप तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

समिति अध्यक्ष व अन्य सदस्यों पर एफआईआर दर्ज

धान उपार्जन केन्द्र खड़गांव में हुई थी गड़बड़ी

रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ में अपेक्स बैंक धरमजयगढ के पर्यवेक्षक के एस चन्द्रा द्वारा दिनांक 16/07/2021 को कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) रायगढ के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/609/खाद्य/2021 रायगढ़ दिनांक 14/07/2021 के द्वारा धान उपार्जन केन्द्र खड़गांव में बरती गई अनियमितता के संबंध में प्रतिवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिसके अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020 - 21 में धान उपार्जन के दौरान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खड़गांव प0क्र0 180 के द्वारा खरीदी नीति वर्ष 2021-21 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसकी जांच संयुक्त जांच दल द्वारा किया गया है, धान उपार्जन केन्द्र खड़गांव पं0क्र0 - 180 में 2241.00 क्विं0 धान की कमी पाई गई है, जिसकी राशि (प्रति क्विं. 2500/-) के मान से राशि - 56,02,500.00 रूपये तथा बारदाना - 14,766 नग कमी की राशि 2,21,490.00 रूपये इस प्रकार कुल 58,23,990.00 रूपये (अन्ठावन लाख तेईस हजार नौ सौ नब्बे रूपये) की अनियमितता पायी गई है। जिसके लिये समिति के अध्यक्ष रवि नारायण राठिया, समिति प्रबंधक/फड प्रभारी - कृपाराम राठिया, डाटा एन्ट्री आपरेटर - अनिल कुमार राठिया, बारदाना प्रभारी - कुलदीप कुमार राठिया सहित संचालक मण्डल के सभी सदस्य संयुक्त रूप से जिम्मेदार पाये गये हैं। थाना धरमजयगढ़ में समिति अध्यक्ष व अन्य के विरूद्ध अप.क्र. 162/2021 धारा 409,34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

जामपाली जंगल में छाल पुलिस ने की रेड... 14 जुआड़ी पकड़ाए

» जुआरियों से 2.28 लाख नकद, 1 क्रेटा वाहन, 3 मोटरसाइकिल व10 मोबाइल जब्त

रायगढ़। दिनांक 17/07/2021 को एसपी अभिषेक मीणा के निर्देशन पर थाना प्रभारी छाल निरीक्षक विवेक पाटले के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा मुखबिर से मिली सूचना पर योजनाबद्ध तरीके से ग्राम कीदा जामपाली जंगल में जुआ फड के आसपास की घेराबंदी कर रेड किये। टीआई विवेक पाटले द्वारा की गई तगड़ी घेराबंदी के कारण जुआ फड से कोई भी जुआरी भागने में सफल नहीं हो सका, सभी 14 जुआरी मौके पर रंगे हाथों 52 पत्ती तास के साथ पकड़े गये। पुलिस टीम द्वारा जुआरियों की ली गई तलाशी एवं फड से तेरह जुआरियों नगदी 2,28,000 रुपए एवं उनके 10 विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल तथा जुआ फड के पास खड़ी जुआरियों की एक क्रेटा वाहन, तीन मोटर सायकलों को कब्जे में लिया गया है , जिसकी अपराध में जप्ती की गई है। छाल पुलिस द्वारा सभी 14 जुआरियों पर धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

पकड़े गए जुआड़ियान -

(1) गिरधारी शर्मा पिता सुरेंद्र शर्मा उम्र 36 वर्ष ग्राम हाटी (2) राजकुमार साडगी पिता त्रिलोक सडंगी उम्र 48 वर्ष ग्राम पुरूगा (3) राजाराम साहू पिता भैया लाल साहू उम्र 55 वर्ष साकिन बुधवारी बस्ती कोरबा (4) चित्रसेन साहू पिता मेहर साहू उम्र 35 वर्ष साकिन डूमरपाली थाना भूपदेवपुर (5) जनक पटेल पिता भागीरथी पटेल उम्र 38 वर्ष साकिन काशीडीह थाना चंद्रपुर (6) राजेश साधवानी पिता लाथाराम साधवानी उम्र 50 वर्ष चांपा जिला जांजगीर चांपा ज (7) चंद्रिका सोनी पिता रामचरण सोनी उम्र 45 वर्ष ग्राम भैसमा जिला कोरबा (8) मनोज कुमार कवंर पिता स्व0 रामनाथ कंवर उम्र 35 वर्ष साकिन बंधवाभाठा थाना उरगा जिला कोरबा (9) वृन्देश्वर गोपाल पिता विश्वनाथ गोपाल उम्र 40 वर्ष साकिन चांपा जिला जांजगीर चांपा (10) मोहम्मद अनिष पिता अब्दुल अजीज उम्र 50 वर्ष साकिन कोरबा ईतवारी बाजार (11) रामकुमार देवांगन पिता छविलाल देवांगन उम्र 42 वर्ष साकिन कोरबा जिला कोरबा (12) विजय कुमार पटेल पिता स्व0 हेतराम पटेल उम्र 35 वर्ष साकिन हाटी थाना छाल (13) अनिल गिरी पिता स्व0 कुबेर गिरी उम्र 48 वर्ष साकिन कोरबा जिला कोरबा (14) कपूर साहू पिता भकालू राम साहू उम्र 40 वर्ष साकिन हाटी थाना छाल।

उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक विवेक पाटले के हमराह प्र0आर0 दादू सिंह सिदार, आरक्षक हरेंद्र जगत, अशोक चौहान, केशव चौहान, सतीश जगत, किशनो उरांव, सूरज साहू, दुर्गेश पटेल, अमित लकड़ा, बसंत लकड़ा, संत पटेल, धीरेंद्र सिदार, उदय यादव की सराहनीय भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480